UPVR010094942024

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance Com.) At, Varanasi

(Presided Over by Manoj Kumar-II), (HJS)- UP01827

CRIMINAL APPEAL/159/2024

रोशन अली उर्फ बीरू, निवासी- सी. 15/370 मोहल्ला लल्लापुरा, थाना सिगरा, जिला वाराणसी।

अपीलार्थी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. हालिम पुत्र स्व. बसीर, निवासी- सी. 15/370 लल्लापुरा, थाना सिगरा, जिला वाराणसी।

विपक्षीगण।

निर्णय

1- प्रस्तुत आपराधिक अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, वाराणसी, द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1662/2009, राज्य बनाम इस्माईल व अन्य, मु.अ.सं. 03/2008, धारा 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं., थाना सिगरा, वाराणसी में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 08.08.2024 से क्षुब्ध होकर दाखिल है।

2- विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित । विपक्षी संख्या 2 पर नोटिस तामील है परन्तु विपक्षी संख्या 2 की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नही हुआ।

3- मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा आपराधिक अपील व संबंधित आपराधिक वाद 1662/2009, राज्य बनाम इस्माइल आदि की पत्रावली का अवलोकन किया।

4- प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2004 समय 06 बजे स्थान पेश दरवाजा वादी स्थित ग्राम लल्लापुरा, थाना सिगरा, वाराणसी पर अभियुक्तगण मो. इकबाल व मो. इस्माइल ने लडकों की बात को लेकर वादी मुकदमा हालिम के लडके नसीर को भद्दी भद्दी गॉलियां देते हुये पीटने लगे, जिससे उसके दाहिने पैर में काफी चोट आयी है। वादी मुकदमा लडके का दवा इलाज करा रहा है।

उक्त घटना की जुबानी सूचना वादी मुकदमा हालिम द्वारा दिनांक 23.04.2004 को समय सुबह 11.10 बजे थाना सिगरा पर दी गयी ।

5- वादी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर थाना सिगरा, पर एन.सी.आर. संख्या 41/04 अन्तर्गत धारा 323,504 भा.दं.सं. विरूद्ध अभियुक्तगण मो. इकबाल व मो. इस्माइल दर्ज की गयी तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के आदेश के उपरान्त उक्त एन.सी.आर. की विवेचना थाना सिगरा द्वारा की गयी तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण इस्माइल, एकबाल व रोशन अली उर्फ बीरू विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323,504,506,452 भा.दं.सं. के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया तथा दिनांक 22.07.2003 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 504, 506(2),452 भारतीय दंड

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.20 12:08:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6- अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम, पी.डब्ल्यू 02 नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू. 03 मो. शाहिद को परीक्षित कराया गया । बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्र आरोप पत्र व नक्शा नजरी की औपचारिकता स्वीकार की गयी ।

7- विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एन.सी.आर. की कार्बन प्रति प्रदर्श क-1, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155 (2) दं.प्र.सं. प्रदर्श क-2, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, नसीर अहमद के एक्स -रे हेतु जमा किये शुल्क की रसीद की छायाप्रति, एक्स-रे रिपोर्ट की छाया प्रति, मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति,प्रस्तुत किये गये।

8- दौरान विचारण अभियुक्तगण इस्माइल व इकबाल की मृत्यु हो जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2022 को अभियुक्तगण इस्माइल व इकबाल के विरूद्ध वाद कार्यवाही उपशमित की जाती है तथा अभियोजन साक्ष्य के समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 26.05.2022 को शेष अभियुक्त/अपीलकर्ता रोशन अली उर्फ बीरू का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के कथानक को गलत बताया गया तथा अभियोजन साक्षीगण हालिम, पी0.डब्ल्यू.2 व पी.डब्ल्यू.3 शाहिद के बयान के संबंध में यह कथन किया गया है कि वादी की ओर से उसके पिता से सिविल का वाद चल रहा था इसलिए रंजिशन बयान दिया है। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा रंजिशन मुकदमा चलाये जाने व सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने भी कथन किया गया है।

9- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/ अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू को अपराध अंतर्गत धारा 452 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया। तथा अपराध अंतर्गत धारा 323, 504,506 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्व करते हुये अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 06 माह (छः माह) के साधारण कारावास, धारा 504 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 500/रू का अर्थदण्ड व धारा 506 भा.दं.सं. हेतु 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत आपराधिक अपील योजित की गयी है।

10- अपीलार्थी द्वारा दाण्डिक अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय न्यायिक मस्तिष्क का समुचित उपयोग किये बिना ही पारित किया गया है, जो हर आइना काबिले खारिजा के है। विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के समय अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 452 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण किया गया, जिसमें मुकदमा वादी हालिम द्वारा थाना सिगरा में एन.सी.आर. दर्ज कराया जिसके उपरान्त न्यायालय ने 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय पत्र का प्रस्तुत किया कि एन.सी.आर. नं. 41 सन् 2004 धारा 323, 504 भा.दं.सं. में थाना इलाका द्वारा कोई विवेचना नही कि जा रही है। जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा विवेचना किये जाने का आदेश किया जिस पर थाना इलाका कि पुलिस ने मुकदमा अपराध सं0 03/2008 धारा 323, 504, 506, 452 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की व विवेचना प्रारम्भ की। विवेचक द्वारा न्यायालय में अभियुक्तगण इस्माइल व इकबाल व रोशन अली उर्फ बीरू के खिलाफ आरोप पत्र 22.07.2008 को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, का न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियुक्तगण इस्माइल, इकबाल, रोशन अली के खिलाफ आरोप दिनांक 22.09.2008 को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 आरोप विरचित किया गया। आरोप दिनांक 22.07.2008 के बाद अभियुक्तगण मोहम्मद इस्माईल व इकबाल अहमद कि मृत्यु हो चुकी थी जिसकी रिपोर्ट थाना सिगरा द्वारा न्यायालय कि पत्रावली में प्राप्त हो चुकी थी। अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू पुत्र इस्माईल के विरूद्ध 313 दं.प्र.सं. दिनांक 26.05.2022 को विरचित किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2024 के अपने निर्णय में अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू के विरूद्ध धारा 323 भा.दं.सं. में 6 माह का साधारण कारावास व 504 भा.दं.सं. में 500 रु0 अर्थदण्ड व धारा 506 भा.दं.सं. में 1000/-रु0 के अर्थदण्ड का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दु वार निम्न है।

परिवादी द्वारा अपने एन.सी.आर. प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था परन्तु अपने बयान में यह कहा है कि वह घटना के 10-15 मिनट बाद पहुँचा था। परिवादी व पी.डब्ल्यू.-2 नसीर अहमद के बीच में घटना की कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का प्रमाण नहीं है। पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि वह झगड़े के समय घटना स्थल पर नहीं था। जिससे परिवादी व पी.डब्ल्यू.-1 के बयान में काफी भिन्नता है। पी.डब्ल्यू.-1 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि घटना समाप्त होने के 10 मिनट बाद वह अपने घर पर पहुंचा था, उस समय उसके लड़के व जिन लोगों के बीच हुयी थी वह उस समय उपस्थित नहीं था। पी.डब्ल्यू.-2 के नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू.-3 शाहिद, जो कि पीड़ित व चक्षुदर्शी साक्षी कहा गया है। घटना दिनांक 22.04.04 की सुबह 6.30 बजे के लगभग की है। दोनों साक्षी एक साथ उपस्थित नहीं रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि पी.डब्ल्यू.-3 ने कोई घटना देखी ही नहीं कि मारपीट के समय उपस्थित था। मुकदमा वादी हालिम व अभियुक्त इस्माइल के विरूद्ध सिविल का वाद पूर्व से चल रहा या तथा उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिए 156(3) प्रार्थना पत्र व फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फौजदारी का मुकदमा करके दबाव बनाये। घटना स्थल की विवेचक द्वारा जो न्यायालय में नक्शा नजरी पेश किया था, अभियोजन द्वारा विवेचक को न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि विवेचक द्वारा जो चार्जशीट पेश थी, वह मुकदमा वादी के दबाव में फर्जी पेश की गयी थी। पी.डब्ल्यू.-2 नसीर अहमद द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया कि वह सीढ़ी के पास पेशाब कर रहा जहां घटना बतायी जाती है जबकि पी.डब्ल्यू.-3 शाहिद द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि नसीर के शोर पर वह छत पर गया जहां घटना बताया, इससे यह स्पष्ट होता है कि शाहिद घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, बल्कि अपने पिता के दबाव में साक्षी बनाया गया। गवाह पी.डब्ल्यू.-2 नसीर ने यह अपने जिरह में स्वीकार किया है कि मारपीट में उसे कोई चोट नही आयी थी, बल्कि सीढ़ी से रात में गिरने से उसे चोट आयी थी। इससे यह साबित है कि घटना दिनांक 22.04.04 को हुई ही नहीं थी, बल्कि मकान में किरायेदार इस्माईल, इकबाल व रोशन अली को भगाने के लिए मुकदमा वादी द्वारा फौजदारी वाद दाखिल किया गया था जो झूठा था। चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय रिपोर्ट में Injury caused by blunt and hard object कहा जाता है। अपनी रिपोर्ट को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा चिकित्सक को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया, यह चोट किसी कड़े जगह यानि सीढ़ी पर गिरने से आ सकती है। पी.डब्ल्यू.-2 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 22.06.2004 समय करीब 6-6.30 बजे की है जबकि पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा गया कि घटना 22.04.04 की है, दोनों

के बयानों में घटना, दिनांक व महीना में काफी फर्क यानि दो का विरोधाभास है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.04.04 को झगड़ा नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू.-1 हालिम व पी.डब्ल्यू.-2 नसीर व पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा घटना का अलग-अलग समय व महीना बताया गया तथा साक्षीगण द्वारा किसी अभियुक्त को यह नहीं कहा गया कि उन्होंने गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी है। अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू के पास किसी लाठी, डंडा या हॉकी को किसी गवाह ने स्पष्ट नहीं देखा न लात मुक्का से मारते देखा, बल्कि मकान से किरायेदार को हटाने में फौजदारी की गलत कार्यवाही की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश न करके एक ही परिवार के सदस्यों को साक्षी नामित करके पेश किया है, क्योंकि दिनांक 22.04.04 को घटना घटित नहीं हुई थी। घटना 22.06.04 की है विरोधाभास है। निर्णय के पैरा 15 में श्याम बाबू बनाम उ0प्र0 राज्य ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 3311 में जो अवधारित किया गया है कि जहां पर कोई अन्य साक्षी न हो तो पारिवारिक सदस्य या मित्र का साक्ष्य ग्राह्य है। परन्तु घटना जिस जगह बतायी जाती है वहां काफी भीड़-भाड़ वाली जगह है तथा स्थाई रूप से काफी लोग निवास करते हैं, परन्तु अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया है। क्योंकि दिनांक 22.04.04 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अपीलकर्ता निर्दोष है उसके द्वारा कोई घटना नहीं की गयी है न तो घटना दिनांक 22.04.04 के समय करीब 6 से 6.30 बजे के करीब उपस्थित रहा। अतः निर्णय दिनांक 08.08.24 विधि विरुद्ध है, जिसे निरस्त कर अपीलकर्ता की अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

11- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अपील की पत्रावली, विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली एवं पारित प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 08.08.2024 का परिशीलन किया।

12- दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा बतौर पी.डब्ल्यू.1 अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नही था, 10-15 मिनट बाद पहुँचा था जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। पी.डब्ल्यू.-2 के नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू.-3 शाहिद दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि पी.डब्ल्यू.-3 ने भी कोई घटना देखी ही न ही वह मारपीट के समय उपस्थित था। पी.डब्ल्यू.-1 हालिम व पी.डब्ल्यू.-2 नसीर व पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा घटना का अलग-अलग समय व महीना बताया गया जिससे स्पष्ट है कि तथ्य के साक्षीगण के बयानों में तात्विक विरोधाभाष है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के सभी साक्षीगण एक ही परिवार है । अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नसीर अहमद के मेडिकल प्रपत्र छायाप्रति है जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा नसीर अहमद का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर व प्रकरण के विवेचक को भी न्यायालय में परीक्षित नही कराया है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/ अभियुक्त को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ न देने में भी चूक की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/ अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा.दं.सं. में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13- जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के अनुकूल है तथा पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त होने योग्य है।

14- विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा हालिम, जो चोटहिल नसीर अहमद का पिता है, ने दिनांक 23.04.2004 को समय 11.10 बजे थाना सिगरा पर इस आशय की जुबानी सूचना दी गयी कि दिनांक 22.04.2004 को समय 6 बजे बजे अभियुक्त मो. इकबाल व मो. इस्माइल ने लडकों की बात को लेकर उसके लडके नसीर को भद्दी भद्दी गाली देते हुये पीटने लगे जिसे उसके दाहिने पैर में काफी चोट आयी, जिसका वह दवा इलाज करा रहा है।

15- इस संबंध अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी.डब्ल्यू. 01 हालिम स्वयं वादी मुकदमा, पी.डब्ल्यू. 02 चोटहिल नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगण इस्माइल अली, इकबाल व रोशन अली उर्फ बीरू द्वारा दिनांक 22.06.2004 को समय करीब 06.30 बजे सुबह वादी मुकदमा के लड़के नसीर, जब वह छत पर पेशाब करने गया था, तो मारने पीटने, भद्दी-भद्दी गालियाँ देने व जान से मारने की धमकी देने का समर्थन किया गया है।

16- दौरान अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 हालिम व पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि पी.डब्ल्यू.3 ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पहुचने पर अभियुक्त ने उसे भी गाली दिया तथा मारने के लिये दौडाया जिससे साक्षी पी.डब्ल्यू.3 के घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने की पुष्टि होती है।

इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि झगड़े के समय वह अपने कमरे में था, घटनास्थल पर नही था। एक अन्य अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद द्वारा इस संबंध में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि झगड़ा जब शुरू हुआ वह तुरंत सीढ़ी के ऊपर पहुचा, वाद विवाद ऊपर वाल बरामदे में हुआ था। सबसे पहले वह पहुचा था, पहले माँ पहुची थी, तब वह पहुचा था। बदुरून्निशा के लड़को ने पहले गाली देना शुरू किया था । जब वह पहुचा तो उसे भी गाली दिया मारने को दौड़ाये व भाग गया । वह घर के दरवाजे के बाहर पिता जी का इंतेजार कर रहा था, उसके पिता जी तुरंत आये, उसके पिता जी जानवरों को भूसी खिला रहे थे, ऐसा नही है कि वह भी वहाँ था जहाँ उसके पिताजी जानवरों को भूसी खिला रहे थे।

प्रकरण के चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना वाले दिन करीब 06.30 बजे वह छत पर था, उसके मकान में सीढी के नीचे लैटरीन बना है, वह उस दिन सुबह 6.00 बजे सो कर उठा था। वह तुरंत पेशाब करने गया था। आवाज देने के 10 मिनट बाद उसकी माता जी व भाई बचाने आये थे। जब उसकी माँ व भाई बचाने आये तो उसके पहले ही मुल्जिमान भाग गये थे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम द्वारा स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। जहाँ तक साक्षी पी.डब्ल्यू. 3 मो0 शाहिद के द्वारा घटना देखे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुल्जिमान द्वारा उसे भी गालियाँ देने तथा मारने हेतु दौड़ाये जाने का कथन किया गया है, जबकि चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जब उसकी माँ व उसके भाई अर्थात पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद उसे बचाने आये तो उससे पहले ही मुल्जिमान भाग चुके थे, अतः साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद के घटना स्थल पर घटना के समय उपस्थित होने का सम्पोषण चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद

के मौखिक साक्ष्य से नही होता है, परंतु जैसा कि चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसे मारने-पीटने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का पूर्ण समर्थन किया गया है। चोटहिल साक्षी के साक्ष्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Shayam Babu Vs. State of U.P. AIR 2012 SC 3311** व **Mukesh Vs. State for NCT of Delhi and others AIR 2017 SC 2161** में यह अवधारित किया गया है कि चोटहिल साक्षी के साक्ष्य पर तब तक विश्वास किया जाना चाहिये जब तक कि उसके घटनास्थल पर उपस्थित होने के संबंध में तात्विक विरोधाभाष के आधार पर ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर विश्ववास करने का कोई ठोस कारण न हो ।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के तीनों साक्षीगण ने घटनास्थल पर चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद की उपस्थिति तथा प्रश्नगत घटना में उसे चोटे आने का पूर्ण समर्थन किया गया है, अतः साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम व पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद का घटना का चक्षुदर्शी साक्षी न होने का कोई लाभ अपीलकर्ता/दोषसिद्ध को प्राप्त नही होता है।

17- दौरान बहस अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी मुकदमा हालिम व अभियुक्त इस्माइल के मध्य सिविल का मुकदमा पूर्व से चल रहा था, तथा उक्त मुकदमा में दबाव बनाने के लिये फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फौजदारी मुकदमा कायम कराया गया।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि अभियुक्त से शत्रुता के आधार पर किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नही माना जा सकता है।

इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 मो0 हालिम/वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि वह मकान संख्या सी.15/370ए., लल्लापुरा में 17-18 साल से रह रहा है, यह मकान उसने राजू और रिज़वान से खरीदा है, जो मकान उसने खरीदा है, उसमें मुल्जिमान रहते थे, अब छोड़ कर चले गये है। उस मकान के बावत उससे और बदुरून्निशा के बीच दीवानी का मुकदमा चल रहा है । इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 मो0 हालिम/वादी मुकदमा द्वारा उसके व बदुरून्निशा के मध्य मकान को लेकर सिविल वाद लंबित होना स्वीकार किया गया है ।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **Dilwar Singh Vs. State of Haryana (2015) 1 SCC 737** में यह अवधारित किया गया है कि साक्षी की अभियुक्त से शत्रुता उसके साक्ष्य को खण्डित करने का आधार नही है। यदि सम्यक् परिक्षण से ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि कि प्रकरण के तथ्यों का निर्धारण के लिये अपराध में किसी व्यक्ति को झूठा फंसाये जाने अथवा किसी अभियुक्त की सहभागिता को साक्षी द्वारा बढा चढ़ा कर बताये जाने की संभावना को भी मस्तिष्क में रखा जाना चाहिये ।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी मुकदमा व अभियुक्त के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है, परंतु जैसा कि घटना के चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ अभिकथित घटना कारित किये जाने का पूर्ण समर्थन किया गया है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम/वादी मुकदमा व पी.डब्ल्यू. 03 मो0 शाहिद द्वारा भी अपने मौखिक साक्ष्य में भी की गयी है, अतः बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि वादी मुकदमा द्वारा उससे महज रंजिशन फंसाया गया ।

18- दौरान बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटहिल नसीर अहमद की मेडिकल रिपोर्ट को साबित करने हेतु संबंधित चिकित्सक को परीक्षित नही कराया गया ।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध के लिये मेडिकल रिपोर्ट साबित कराया जाना आवश्यक नही है।

इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चोटहिल नसीर अहमद की मेडिकल रिपोर्ट व अन्य चिकित्सीय प्रपत्र छायाप्रतियाँ है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है । स्वीकृत रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा मेडिकलकर्ता/चिकित्सक को परीक्षित नही कराया गया है, परंतु जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता/दोषसिद्ध को आरोप अंतर्गत धारा 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **Radhey Shyama and another Vs. State of U.P. and another 2023 Neutral Citation No. 2023 AHC-LKO 60710,** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 323 के आरोप को साबित करने के लिये इंजरी रिपोर्ट उसे चिकित्सक द्वारा साबित कराया जाना आवश्यक नही है ।

जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के सभी साक्षीगण अभियुक्तगण द्वारा नसीर अहमद को मार-पीट कर चोटे कारित करने का पूर्ण समर्थन किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा मूल मेडिकल रिपोर्ट व अन्य चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने तथा मेडिकलकर्ता/चिकित्सक को परीक्षित न कराये जाने का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नही है।

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता दौरान यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण के विवेचक द्वारा परीक्षित नही कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के दबाव में फर्जी आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि बचाव पक्ष द्वारा नक्शा नजरी व आरोप पत्र की मौलिकता स्वीकार की गयी है अतः विवेचक को परीक्षित न कराये जाने का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन केस पर नही है।

इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बचाव पक्ष द्वारा आरोप पत्र व नक्शानजरी की सत्यता को स्वीकार किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन प्रपत्र नक्शानजरी नजरी व आरोप पत्र को बचाव पक्ष द्वारा विवादित नही किया गया है, अतः धारा 294 दं.प्र.सं. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक के हस्ताक्षर के सबूत के बिना ही उक्त आरोप पत्र व नक्शानजरी साक्ष्य में ग्राह्य है ।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुस्थापित विधि व्यवस्था **Raj Kishore Jha Vs. State of Bihar 2003 (43) ACC 1067 (SC)** में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के लिये विवेचक को परीक्षित कराया जाना सदैव वांछनीय है, हालांकि विवेचक को परीक्षित न कराये जाने मात्र से अभियोजन केस को किसी तरह से कोई क्षति नही पहुचाता है, और न ही अन्यथा विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में चोटहिल साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मार-पीट करने, गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है, जिसका सम्पोषण साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 हालिम/वादी मुकदमा व पी.डब्ल्यू. 03 मो- शाहिद द्वारा भी अपने मौखिक साक्ष्य में भी किया गया है। अतः

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक को परीक्षित न कराये जाने का कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नही है।

20- दौरान अपील में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नही किया गया है तथा अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षी एक ही परिवार के सदस्य है ।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि किसी साक्षी के साक्ष्य पर मात्र इस आधार पर अविश्वास नही किया जा सकता है कि वह चोटहिल के परिवार का सदस्य है।

इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोप पत्र में नामित किये गये तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये गये तथ्य के साक्षीगण पी.डब्ल्यू. 01 हालिम, पी.डब्ल्यू. 02 नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू. मो0 शाहिद एक ही परिवार के सदस्य है, तथा एक अन्य तथ्य की साक्षी फातमा जो वादी मुकदमा की पत्नी है, को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य से उन्मोचित कराया गया है ।

प्रस्तुत प्रकरण का घटना स्थल वादी मुकदमा के मकान का छत है, जहाँ पर स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति संभव नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **Laltu Ghosh Vs. State of West Bengal AIR 2019 SC 1058** में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि आपराधिक विचारण में किसी साक्षी के साक्ष्य पर मात्र इस आधार पर अविश्वास नही किया जा सकता है कि वह पीडित का रिश्तेदार अथवा उसके परिवार का सदस्य है ।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 हालिम, पी.डब्ल्यू.2 नसीर अहमद व पी.डब्ल्यू.3 मोहम्मद शाहिद यद्यपि आपस में पिता व पुत्र है परन्तु उक्त साक्षीगण के मौखिक में एेसा कोई तात्विक विरोधाभाष नही है जिसके आधार पर उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य को अमान्य किया जा सके । अतः न्यायालय की राय में प्रकरण में स्वतन्त्र साक्षीगण का न होना तथा सभी साक्षीगण का पीडित के परिवार के सदस्य होने के आधार पर अभियोजन कथानक को संदेहास्पद नही माना जा सकता है।

21- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन स्वयं द्वारा प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त रोशन अली उर्फ बीरू के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323, 505, 506 भा.दं.सं. को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः न्यायालय की राय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है।

22- प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध रोशन अली उर्फ बीरू को धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किए जाने के आधार न पाते हुए दोषसिद्ध को अपराध अंतर्गत धारा 323 भा.दं.सं. में 6 माह का कारावास, अपराध अंतर्गत धारा 504 भा.दं.सं. हेतु 500/- रुपये का अर्थदण्ड तथा अपराध अन्तर्गत धारा 506 भा.दं.सं. हेतु 1000/-रू अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दण्डादेश पारित किया गया है।

जबकि दौरान अपील दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

इस संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 360 दोषसिद्ध को सदाचरण की परिवीक्षा पर यह भर्त्सना पर छोड़े जाने संबंधी प्रावधान करती है, जिसके उपखण्ड 1 के अनुसार जब कोई व्यक्ति, जो 21 वर्ष की कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम

अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री जो ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं की गई है, तब यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया है ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो न्यायालय उसे तुरंत दण्डादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभूओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बंधपत्र लिखे जाने पर छोड़ दिया जाये कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) जितनी अवधि के दौरान, जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दण्डादेश पायेगा और उस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा।

उक्त धारा 360 का उपखण्ड 4 यह भी प्रावधान करता है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 सदाचार की परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को मुक्त करने के लिए न्यायालय को सशक्त करती है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और न्यायालय मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध के स्वरूप और अपराधी का चरित्र सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए यह मत बनाता है कि उसे सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त करना उचित है तो वह उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, उसे तत्काल दण्डित करने के स्थान पर यह निर्देश दे सकता है कि वह बंधपत्र, जमानतदारों सहित या रहित न्यायालय द्वारा निर्देशित अवधि (जो तीन वर्ष से अधिक न हो) के दौरान जब बुलाया जाए तब उपस्थित होकर दण्ड ग्रहण करेगा और इस बीच शान्ति बनाये रखेगा तथा सदाचार का पालन करेगा।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 धारा 3 या धारा 4 के अधीन मुक्त किए गए अपराधियों से प्रतिकर और व्यय का भुगतान कराने के लिए न्यायालय को सशक्त करता है, जिसके अनुसार न्यायालय यदि उचित समझे तो उसी समय अपराधी को यह भी आदेश दे सकता है कि वह अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति के लिए न्यायालय द्वारा उचित समझी गई प्रतिकर राशि का भुगतान करे और कार्यवाही की किसी ऐसी लागत का भुगतान करे जो न्यायालय उचित समझे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **राज्य बनाम संजीव भल्ला 2014 (86 ACC 938 (SC)** में यह अवधारित किया गया है कि विचारण न्यायालय को यह लेखबद्ध करना चाहिए कि दोषसिद्ध को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना क्यों संभव नहीं है। पीड़ित को प्रतिकर का भुगतान कराया जाना भी उचित प्रकार का दण्ड है। प्रतिकर न दिलाए जाने के कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय को पारस्परिक रूप से संतोषजनक तरीके से वाद का निस्तारण करने के वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार करना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में चोटहिल नसीर अहमद को आयी चोटे सामान्य प्रकृति की हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्ध/अपीलार्थी के पूर्वतन किसी आपराधिक अपराध का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में दोषसिद्ध को अपराध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. हेतु तुरंत दण्डित करने के बजाय दोषसिद्ध/अपीलार्थी रोशन अली उर्फ

बीरू को धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान करते हुए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना तथा चोटहिल नसीर को हुई क्षति के लिए दोषसिद्ध/अपीलार्थी से प्रतिकर दिलाया जाना न्यायसंगत होगा। तदनुसार प्रस्तुत आपराधिक अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

23- प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 159/2024, रोशन अली उर्फ बीरू बनाम सरकार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पुष्ट किया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के संबंध में दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश का निष्पादन तुरंत कराये जाने के बजाय दोषसिद्ध/अपीलार्थी रोशन अली उर्फ बीरू को 3 माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है।

24- दोषसिद्ध/अपीलार्थी रोशन अली उर्फ बीरू इस मध्य कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा तथा सदाचारी बना रहेगा व परिशान्ति कायम रखेगा।

25- दोषसिद्ध को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की तिथि से 10 दिन के अंदर चोटहिल नसीर अहमद को हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में चोटहिल को 1,000/- रुपया प्रतिकर प्रदान किये जाने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय में जमा करेगा।

26- दोषसिद्ध/अपीलार्थी रोशन अली उर्फ बीरू, मु. 25,000/- रुपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू तथा इस आशय की अंडरटेकिंग विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस निर्णय की तिथि से 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि यदि दोषसिद्ध/अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि 3 माह में सदाचरण की परिवीक्षा का उल्लंघन करता है तो वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को भुगतने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

27- निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध/अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

28- निर्णय की एक प्रति मय अभिलेख विद्वान विचारण न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही विचारण न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20.06.2026

(मनोज कुमार-II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

29- निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार-II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड-यू0 पी0 1827

दिनांक- 20.06.2026
स्टेनो- शहबाज